

फर्द अहकाम

मं.

न्यायालय सहायक कलक्टर, श्यामेश्वर उ० जयपुर

व्यवसायी बनवारी बनाम मदनलाल

1 / 2022

मुकदमा संख्या / वर्ष बनवारी

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष वि

क्र.सं. दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

14/6/2022

पञ्जावली पेशा दुरी उग्रपक्ष मीडियवक्ता (मं) की छा० पत्र 09R9 व धारा -5 पर बहस सुनी गई। इसके छा० पत्र का डावलोकन किया। प्रार्थी ने जाहिर किया कि कोरोना महामारी के कारण वासी से संपर्क नहीं होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिवादी पक्ष मीडियवक्ता ने आपत्ति जाहिर की छा० पत्र सिपाउ में पेश नहीं किया है। चूंकि कोरोना महामारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके अतः न्यायालय में 100 रु की कोस्ट पर छा० पत्र 09R9 स्वीकार किया जाता है। तथा मूलवाड पुनः दर्ज रजिस्टर हो। पञ्जावली फौजल शुमार लोक दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
श्यामेश्वर म. जयपुर

